

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page Nos. 420—421

Dated 31-1-2004

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2004

का.आ. 233.— केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शुष्क मत्स्य निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शुष्क मत्स्य निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2003 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. शुष्क मत्स्य निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2002 के नियम 9 के उप-नियम (5) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 6/5/2000-ई आई एण्ड ई पी]

राज सिंह, उप सचिव

टिप्पण :—मूल नियम का. आ. 1376(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2002 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2004

S.O. 233.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Dried Fish (Quality Control and Inspection) Rules, 2002, namely :—

- (1) These Rules may be called the Export of Dried Fish (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2003.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Export of Dried Fish (Quality Control and Inspection) Rules, 2002, in rule 9, the sub-rule (5) shall be omitted.

[F. No. 6/5/2000-EI & EP]

RAJ SINGH, Dy. Secy.

Note :—The Principal rules were published in the Gazette of India, in Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S. O. 1376(E) dated the 30th December, 2002.

